भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2439
उत्तर देने की तारीख - 03/08/2026

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना

†2439. **श्री बिष्णु पद राय:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के जन-प्रतिनिधि ने 'डी नोवो' श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को 09.12.2025, 12.12.2026, 16.02.2026 और 16.03.2026 को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के समर्थन में कई कारण तथा उदारहण प्रस्तुत किए गए हैं, साथ ही 23.03.2026 को संसद में भी यह मामला उठाया है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ख) क्या सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानित विश्वविद्यालय के स्थान पर संसद के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की द्वीपवासियों और छात्रों की लंबित मांग को स्वीकार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): केंद्र सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक पूर्ण विकसित केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। मंत्रालय ने वर्ष 2017 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवहार्यता का आकलन किया था। विस्तृत परीक्षण एवं शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के

उपरांत, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत डी-नोवो श्रेणी में समुद्र विज्ञान तथा सतत विकास जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान (एनएससीबीआईएचएल), पोर्ट ब्लेयर के नाम से एक सम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें सात मौजूदा महाविद्यालयों (जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, टैगोर राजकीय बी.एड. महाविद्यालय, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, अंडमान और निकोबार महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज एएनआईआईएमएस और अंडमान विधि महाविद्यालय) को सम्मिलित किया गया।
